



केन्द्रीय मुहर विभाग – 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 17483

21 08 2024

विषय: IS 17483 (Part 2) : 2020 (भुकृत्रिम जिओसैल्स— विशिष्टि भाग - 2 ढलान कटाव संरक्षण अनुप्रयोग हेत) में संशोधन संख्या 2 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 17483 (Part 2) : 2020 में संशोधन संख्या 2 प्रकाशित हो चुकी है । IS 17483 (Part 2) : 2020 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की अंतिम तिथि **25 जनवरी 2025** है । सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 17483 (Part 2) : 2020 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **25 जनवरी 2025** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(हरीश मीना)
वैज्ञानिक-बी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2)

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 17483

21 08 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 2 to Indian Standard 17483 (Part 2): 2020 (Geosynthetics – Geocells Specification Part 2 Slope Erosion Protection Application)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 2 to IS 17483 (Part 2): 2020 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 2 to IS 17483 (Part 2): 2020 is **25 January 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **25 January 2025**

(Harish Meena)
Scientist B (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices